328

न्यायालय श्रीमान् आयुक्त महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर
श्रृंखला न्यायालय रीवा जिला–रीवा (म0प्र0)

COURT FEE 20 Rs. भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES Rs.20/-

निगरानी 2315–II–15

196
15.6.15

साधूराम तनय सूर्यदीनराम ब्राम्हण उम्र–85 वर्ष, पेशा खेती, निवासी ग्राम करौदिया, तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0) ------निगरानीकर्ता

बनाम

1. रामेश्वर बैगा तनय चिमना बैगा,
2. मायादेवी पत्नी स्व0 शंकर दयाल ब्राम्हण

दोनो निवासी ग्राम करौदिया, तहसील रामपुर नैकिन, जिला–सीधी (म0प्र0)

3. मध्यप्रदेश शासन ----------गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरूद्ध आदेश न्यायालय श्रीमान् अपर कलेक्टर महोदय सीधी, द्वारा प्रकरण क्रमांक 288/निगरानी/2011–12 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 को अपास्त किये जाने हेतु

निगरानी अन्तर्गत धारा–50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्री ...... एड द्वारा आज दिनांक 15.6.15 को प्रस्तुत किया गया। रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

क्रमांक 5869 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक........को प्राप्त अ– राजस्व मण्डल ग्वालियर

मान्यवर,

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम करौदिया पूर्व तहसील गोपदबनास वर्तमान तहसील रामपुर नैकिन जिला–सीधी की पुरानी आराजी खसरा क्रमांक 331/2 रकवा 2.70 एकड़, 332/2 रकवा 0.65 एकड, 333/1 रकवा 2.02 एकड़, 327/2 रकवा 8.45 एकड़ 194/1 रकवा 0.25 एकड़, 265/2 रकवा 2.48 एकड़ किता 06 योग रकवा 16.55 एकड़ पूर्व में दामोदर प्रसाद पाण्डेय के स्वामित्व की भूमि थी, जिसे दामोदर प्रसाद पाण्डेय द्वारा अर्सा पूर्व निगरानीकर्ता के हक में बिक्री कर कब्जा दखल प्रदान किया गया तत्पश्चात उक्त वर्णित भूमियों का राजस्व अभिलेख जरिये खाता क्रमांक 22/2 से निगरानीकर्ता के हक में अभिलिखित किया गया, तत्पश्चात् उक्त वर्णित भूमियों का भूमि स्वामी

साधूराम

राजस्व मण्डल ग्वालियर

(323)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ–अ

प्रकरण क्रमांक R–2315-II/15 जिला–सीधी

साधूराम/रामेश्वर

(1)	(2)	(3)
18.12.18	1. आवेदक की ओर से श्री नीलेश तिवारी अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर, जिला सीधी के प्रकरण क्रमांक 288/निगरानी/2011–2012 में पारित आदेश दिनांक 05.06.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 18.02.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो। सदस्य	

के हक में अभिलिखित किया गया, तत्पश्चात् उक्त वाणित भूमिया का भूमि स्वामि

साधूराम